झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–672 वर्ष 2007

बद्री प्रसाद वर्मा .... याचिकाकर्त्ता

बनाम

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पार्टी

उपस्थित : माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री पी0पी0 चटर्जी, अधिवक्ता।

विपक्षी पार्टी–राज्य के लिएः–श्री वी0एस0 सहाय, ए0पी0पी0।

06 / 03.01.2023 पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. यह पुनरीक्षण आवेदन आपराधिक अपील सं0 166 / 2006 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0–III, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 19.04.2007 के फैसले के खिलाफ निर्देशित किया गया है, जिसके द्वारा विद्वान रेलवे मजिस्ट्रेट, धनबाद द्वारा आर0पी0 वाद सं0 01 / 92, टी0आर0 सं0 400 / 06 में पारित दिनांक 10.07.2006 के दोषसिद्धि और सजा का आदेश दिया गया है जिसके तहत याचिकाकर्ता को आर0पी0 (यू0पी0) अधिनियम की धारा 3 (ए) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और एक वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतने के दण्ड की पुष्टि की गई है और याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने भुगती हुई अवधि के लिए सजा को संशोधित करने के लिए अपनी प्रार्थना को सीमित रखा है क्योंकि मामला वर्ष 1992 का है। उन्होंने आगे कहा है कि याचिकाकर्ता ने पिछले 30 वर्षों से मुकदमें की कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है और वह लगभग 67 दिनों तक हिरासत में भी रहे हैं और वर्तमान में याचिकाकर्ता की आयु लगभग 76 वर्ष है। ऐसे में इस स्तर पर उन्हें छोटी अवधि के लिए भी वापस जेल भेजने से उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, ऐसे में पहले ही काट ली गई अवधि की सजा या जुर्माने के रूप में सजा में कुछ नरमी दी जा सकती है।

4. राज्य के विद्वान वकील ने निर्णयों का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि निचली अदालतों द्वारा दिए गए निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं है। इस प्रकार, दोषसिद्धि को अपास्त नहीं किया जा सकता है, हालांकि जुर्माने के रूप में सजा में संशोधन किया जा सकता है।

5. निचली अदालत के रिकॉर्ड सहित आपेक्षित निर्णय तथा पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियों को देखने के बाद और पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के दायरे को ध्यान में रखते हुए, मैं निचली अदालतों के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ एवं ऐसे में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित और विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई दोषसिद्धि, एतद्द्वारा बरकरार रखा जाता है।

6. तथापि, जहाँ तक सजा का संबंध है, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि यह घटना वर्ष 1992 की है और लगभग 30 वर्ष बीत चुके हैं और याचिकाकर्ता को पिछले 30 वर्षों से

मुकदमें की कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है। यह नहीं कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने कभी भी जमानत के विशेषाधिकार का दुरूपयोग किया है और वह लगभग 67 दिनों तक हिरासत में भी रहा और अब याचिकाकर्ता की आयु लगभग 76 वर्ष है।

7. इस तरह की स्थिति में, मेरी राय है कि याचिकाकर्ता/दोषी को वापस जेल भेजने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा, बल्कि यह न्याय के हित में होगा यदि जुर्माने के रूप में सजा में संशोधन किया जाता है।

8. इस प्रकार, निचली अदालत द्वारा पारित और अपीलीय न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई सजा को इस हद तक संशोधित किया जाता है कि याचिकाकर्ता को पहले से काट चुकी अवधि के लिए सजा सुनाई जाती है, जो 10,000/– रूपये के जुर्माने के भुगतान के अधीन है।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता आज से 4 महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त जुर्माने का भुगतान डी0एल0एस0ए0, धनबाद के समक्ष करेगा, जिसमें विफल रहने पर वह विद्वान निचली अदालतों के आदेश के अनुसार शेष सजा काटेगा।

10. केवल उपरोक्त टिप्पणियों, निर्देशों और सजा में संशोधन के साथ, तत्काल आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन का निपटारा किया जाता है।

11. याचिकाकर्ता को उपरोक्त शर्त की पूर्ति करने पर अपने जमानत बांड के दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा।

12. इस आदेशस की एक प्रति निचली अदालत, सचिव, डी0एल0एस0ए0, धनबाद और याचिकाकर्ता को भी संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वाराा से प्रेषित की जाए।

13. निचली अदालत के रिकॉर्ड को तुरंत संबंधित अदालत में भेजा जाए।

(दीपक रोशन, न्याया0)